न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 11 / 2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर, जिला अजमेर

......प्रार्थी

बनाम

श्री प्रहलाद पुत्र श्री रामलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम नाड़ी, तहसील सावर, जिला अजमेर

......अप्रार्थी

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–11.03.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 14.02.2013 को ग्राम पंचायत घटियाली में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2013 में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री प्रहलाद पुत्र श्री रामलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम नाड़ी, तहसील सावर, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम नाड़ी स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1031 रकबा 0.75 हैक्टर भूमि हाल खसरा संख्या 7100 रकबा 0.75 हैक्टर का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि वरवक्त आवंटन मौके पर विवादित भूमि रिक्त नहीं होकर अन्य व्यक्ति का कदीमी कब्जा काश्त था।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी के नाम नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आक्षेपीय आवंटन आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही के दौरान आवंटित आराजी काबिल काश्त नहीं पाये जाने व मौके पर अन्य व्यक्ति का कदीमी कब्जा काश्त होने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से अप्रार्थी को कब्जा संभलाये जाने की कार्यवाही नहीं की गई एवं मौके पर अप्रार्थी को विवादित आराजी का कब्जा नहीं संभलाया गया। उनका कथन है कि अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होने सम्बन्धी तथ्यों को छिपाकर मिथ्या कथन के आधार पर भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाकर कपट व दुर्व्यप्रदर्शन से विवादित आराजी का आवंटन करवाया गया है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि पुनः सिवायचक दर्ज की जावे।

हमने पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति का कदीमी कब्जा काश्त था तथा आवंटित भूमि वरवक्त आवंटन रिक्त नहीं थी। आवंटी द्वारा यह तथ्य छिपाते हुए भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं कपटपूर्वक व दुर्व्यप्रदर्शन से विवादित आराजी का आवंटन करवाया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्री प्रहलाद पुत्र श्री रामलाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम नाड़ी, तहसील सावर के पक्ष में ग्राम नाड़ी के आराजी खसरा नम्बर 1031 रकबा 0.75 हैक्टर भूमि हाल खसरा संख्या 7100 रकबा 0.75 हैक्टर का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर अजमेर
अपर कलक्टर,
अजमेर